संख्या 909/ II–2007–03(01)/06

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 21 मार्च, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2006–07 में अधिष्ठान हेतु बचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के के पत्र सं0 482/मु0अ0वि0/विनि/सी–2 डी अधिष्ठान दिनांक 17.2.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में संलग्नक पर प्रस्तुत बी0एम0–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से रू0 रू0 27.49 लाख (रूपये सत्ताईस लाख उनपचास हजार मात्र) की धनाराशि खण्डों में आंवटित करने हेतु अपके आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

.....2

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2007 तक कर दिया जाय और यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4– धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2304/XXVII (2)/2007 दिनांक 19.3.07 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

संख्या 909/ II–2007–03(07)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
4. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

प्रपत्र–बी0एम–15

संलग्नक–

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2006–07 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।			पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5			6	7	8
2700–मुख्य सिंचाई 001–निदेशन तथा प्रशासन 00– 04–कार्यकारी 01–वेतन	450000	308119	91881	50000 (क)	2700–मुख्य सिंचाई 001–निदेशन तथा प्रशासन 00– 03–निदेशन 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय 27–चिकित्सा–प्रतिपूर्ति 04–कार्यकारी 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय 10–जलकर 17–भवनकर 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	 110 300 850 274 515 700	(ख)	 310 1300 2350 1074 1015 4700	447251	(क) बजट प्राविधान आवश्यकता से अधिक होने के कारण । (ख) विगत से स्थानान्तरण, जलकर, भवनकर व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधिक देयक प्राप्त होने के कारण ।
योग	450000	308119	91881	50000		2749		10749	447251	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
सं0–2304/(क)/XXVII(2)/2007
देहरादून: दिनांक 19 मार्च 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड
देहरादून।

सं0 2304/ ।–2007–03(03)/2006 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून